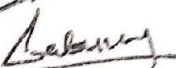
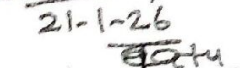


कार्यालय नगरपालिका श्रीमाधोपुर जिला सीकर

बैठक कार्यवाही विवरण

नगरपालिका स्तरीय ले आउट प्लान कमेटी की बैठक कमेटी अध्यक्ष श्री हरिनारायण महन्त, अध्यक्ष, नगरपालिका श्रीमाधोपुर की अध्यक्षता में दिनांक 21.01.2026 को प्रातः 10 बजे से प्रारम्भ की गयी। जिसमें उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

1. श्री हरिनारायण महन्त, अध्यक्ष नपा श्रीमाधोपुर
2. श्री बाबुलाल बाज्या, सहायक नगर नियोजक, नपा श्रीमाधोपुर
3. श्री रतनलाल गुर्जर, कनिष्ठ अभियंता, नपा श्रीमाधोपुर
4. श्री अशोक कुमार, अधिशाषी अधिकारी, नपा श्रीमाधोपुर

अध्यक्ष 
सदस्य 
21-1-26
सदस्य 
सदस्य सचिव 

कोरम पूरी होने पर बैठक कार्यवाही निम्न प्रकार रही :-

प्रस्ताव संख्या 01 :- खसरा नंबर 2107/2 के ले आउट प्लान अनुमोदन पर विचार।

अधिशाषी अधिकारी ने कमेटी को बताया कि आवेदित भूमि राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर में स्थित खसरा नंबर 2107/2 रकबा 0.1000 वर्गमीटर की पूर्व में 90-क की सुओमोटो कार्यवाही हो चुकी है। परन्तु उक्त प्रश्नगत खसरा नंबर का ले आउट प्लान अनुमोदित नहीं होने के कारण से आमजन को पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। कमेटी द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवेदित भूमि श्रीमाधोपुर मास्टर प्लान 2031 की प्रस्तावित 30 मीटर सड़क से प्रभावित है। 30 मीटर सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि (64 वर्गमीटर) को नगरपालिका के नाम निःशुल्क समर्पण करवाया जाना है। चूंकि आवेदित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ सुओमोटो की कार्यवाही पूर्व में हो चुकी है। अतः आवासीय एकल ले आउट प्लान अनुमोदित किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 02 :- खसरा नंबर 2995/1569 व खसरा नंबर 3063/1563 के अनुमोदन पर विचार।

अधिशाषी अधिकारी ने कमेटी को बताया कि आमजन द्वारा राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नंबर 2995/1569 व खसरा नंबर 3063/1563 की सुओमोटो 90-क की कार्यवाही तथा ले आउट प्लान स्वीकृत नहीं होने के कारण से पट्टे प्राप्त करने के लिए सुओमोटो 90-क की कार्यवाही करते हुये ले आउट प्लान स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया जाने पर प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक 181 दिनांक 05.01.2026 के द्वारा सुओमोटो 90-क की कार्यवाही की जा चुकी है। पत्रावली में ले आउट प्लान सर्वे नक्शा, गूगल मैप, मास्टर प्लान की प्रति संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा सुओमोटो आधार पर सर्वे करवाकर 31.12.2021 से पूर्व की बसी हुयी कॉलोनियों में 70:30 का अनुपात रखते हुये तथा रास्तों की न्यूनतम चौड़ाई 30 फीट या मौके पर इससे अधिक होने पर उसके अनुसार निर्धारित रखते हुये सुओमोटो आधार पर ले आउट प्लान अनुमोदित किये जाने की छूट प्रदान की हुयी है। अतः श्री श्याम विहार कॉलोनी (भूमि खसरा नंबर 2995/1569 व खसरा नंबर 3063/1563) का ले आउट प्लान समिति के कमेटी के समक्ष प्रस्तुत है।

कमेटी द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ले आउट प्लान में शामिल खसरा नंबर 2995/1569 व खसरा नंबर 3063/1563 की सुओमोटो 90-क की कार्यवाही हो चुकी है। मास्टर प्लान में भू उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ है। उक्त कॉलोनी को पहुंच मार्ग मौजूद 40 फीट सड़क से उपलब्ध हो रहा है। अतः कॉलोनी में आंतरिक सड़कों का मार्गाधिकार न्यूनतम 30 फीट निर्धारित करते हुये श्री श्याम विहार कॉलोनी (भूमि खसरा नंबर 2995/1569 व खसरा नंबर 3063/1563) का आवासीय ले आउट प्लान सर्वसम्मति से स्वीकृत किया जाता है।



प्रस्ताव संख्या 03 :- पत्रावली श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रुड़मल, वार्ड नं. 04 जालपाली श्रीमाधोपुर, श्री कालूराम जाट पुत्र श्री गोपालराम, वार्ड नं. 04 जालपाली श्रीमाधोपुर, श्री गोकुलचंद कुडी पुत्र श्री बंशीधर कुडी, कैरपुरा तहसील खण्डेला, श्री सत्यनारायण पुत्र श्री रुड़मल भारणी तह0 श्रीमाधोपुर, श्री प्रहलाद कुमार वर्मा पुत्र श्री शिवपाल वर्मा, सौंथलिया बावड़ी, तहसील खण्डेला जिला सीकर बाबत अनुज्ञा और आवंटन में ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में विचार।

अधिशायी अधिकारी ने कमेटी को बताया कि श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रुड़मल, वार्ड नं. 04 जालपाली श्रीमाधोपुर, श्री कालूराम जाट पुत्र श्री गोपालराम, वार्ड नं. 04 जालपाली श्रीमाधोपुर, श्री गोकुलचंद कुडी पुत्र श्री बंशीधर कुडी, कैरपुरा तहसील खण्डेला, श्री सत्यनारायण पुत्र श्री रुड़मल भारणी तह0 श्रीमाधोपुर, श्री प्रहलाद कुमार वर्मा पुत्र श्री शिवपाल वर्मा, सौंथलिया बावड़ी, तहसील खण्डेला जिला सीकर द्वारा भूमि खसरा नंबर 2922/2799 रकबा 0.6945 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2926/2801 रकबा 1.1580 हैक्टेयर की अनुज्ञा और आवंटन हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गयी है। आवेदक द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ स्कीम हेतु अनुज्ञा चाही गयी थी, जिसके क्रम में प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया से अनुज्ञा आदेश क्रमांक LSGCLU90A/2025-26/107463 दिनांक 09.12.2025 जारी किया जा चुका है। आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत ले आउट प्लान कमेटी द्वारा अनुमोदित किया जाना है। अतः पत्रावली कमेटी के समक्ष प्रस्तुत है।

कमेटी द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञा आदेश जारी किया जा चुका है। आवेदित भूमि को कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार 12 मीटर का पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है तथा पटवार हल्का श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि आबादी से 500 मीटर की परिधि में स्थित है। आवेदित भूमि का श्रीमाधोपुर मास्टर प्लान 2031 में भू उपयोग परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र है। नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 के अनुसार आबादी से 500 मीटर की परिधि में आवासीय गतिविध अनुज्ञेय है। अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवासीय योजना हेतु ले आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है :-

1. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2024 के प्रावधानों की पालना करनी होगी।
2. आवेदित भूमि के सामने सड़क का मार्गाधिकार 12 मीटर अथवा मौके पर अधिक है, तो उसके अनुसार रखा जावे।
3. भवन विनियम, 2025 के प्रावधानानुसार सैटबैक देय होंगे।
4. आवेदकगण को नियमानुसार रेरा में पंजीकरण करवाना होगा तथा नगरपालिका द्वारा रेरा पंजीकरण होने के पश्चात् ही पट्टे जारी किये जावेंगे।
5. टाउनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक विकास पूर्ण होने तक बिक्री योग्य क्षेत्र के 10 प्रतिशत तक के भूखण्ड नगरपालिका में रहन रखने होंगे।

प्रस्ताव संख्या 04 :- पत्रावली श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी श्री गुलझारीलाल, ढाणी बाडवाली, लांपुवा, सीकर बाबत अनुज्ञा और आवंटन में ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में विचार।

अधिशायी अधिकारी ने कमेटी को बताया कि श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी श्री गुलझारीलाल, ढाणी बाडवाली, लांपुवा, सीकर द्वारा भूमि खसरा नंबर 3154/693 रकबा 0.1291 हैक्टेयर की अनुज्ञा और आवंटन हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गयी है। आवेदक द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ एकल पट्टा चाहा गया है। प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया से अनुज्ञा आदेश क्रमांक LSGCLU90A/2025-26/107826 दिनांक 09.01.2026 जारी किया जा चुका है। पट्टा जारी किये जाने से पूर्व ले आउट प्लान कमेटी द्वारा अनुमोदित किया जाना है। अतः पत्रावली कमेटी के समक्ष प्रस्तुत है।

कमेटी द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञा आदेश जारी किया जा चुका है। आवेदित भूमि को कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार 12 मीटर का पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, जिसका मार्गाधिकार श्रीमाधोपुर मास्टर प्लान 2031 अनुसार 24 मीटर निर्धारित है। मास्टर प्लान की प्रस्तावित 24 मीटर सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि 200 वर्गमीटर को आवेदित भूमि में से निःशुल्क नगरपालिका के नाम समर्पण करवाया जावे। 200 वर्गमीटर सड़क

मार्गाधिकार में समर्पण पश्चात् नियमन योग्य क्षेत्रफल 1091 वर्गमीटर का नियमन किया जाना है। आवेदित भूमि का श्रीमाधोपुर मास्टर प्लान 2031 में भू उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ है। नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 के अनुसार आवासीय भू उपयोग में आवासीय एक पट्टा (स्वतंत्र आवास) अनुज्ञेय है। अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वतंत्र आवास हेतु एकल ले आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है :-

1. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2024 के प्रावधानों की पालना करनी होगी।
2. भवन विनियम, 2025 के प्रावधानानुसार नियमन योग्य क्षेत्रफल पर निम्नानुसार सैटबैक देय होंगे :-

1. अग्र सैटबैक :- 4.5 मीटर
 2. पार्श्व सैटबैक प्रथम :- 4.5 मीटर
 3. पार्श्व सैटबैक द्वितीय :- 4.5 मीटर
 4. पिछे का सैटबैक :- 4.5 मीटर
3. आवेदक से जमा योग्य अन्य शुल्क के अतिरिक्त एकल पट्टा होने के कारण से 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के एवज में आरक्षित दर/डीएलसी दर में से जो भी अधिक हो के समतुल्य राशि जमा ली जावे।

प्रस्ताव संख्या 05 :- जीडीएमएल पटवारी शिक्षण शोध संस्थान श्रीमाधोपुर जरिये सचिव श्री प्रियाशरण पटवारी, श्रीमाधोपुर बाबत अनुज्ञा और आवंटन में ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में विचार।

अधिशायी अधिकारी ने कमेटी को बताया कि जीडीएमएल पटवारी शिक्षण शोध संस्थान श्रीमाधोपुर जरिये सचिव श्री प्रियाशरण पटवारी, श्रीमाधोपुर द्वारा भूमि खसरा नंबर 1959 रकबा 1.1800 हैक्टेयर की अनुज्ञा और आवंटन हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गयी है। आवेदक द्वारा संस्थानिक (महाविद्यालय) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा चाहा गया है। प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया से अनुज्ञा आदेश क्रमांक LSGCLU90A/2025-26/101532 दिनांक 09.01.2026 जारी किया जा चुका है। पट्टा जारी किये जाने से पूर्व ले आउट प्लान कमेटी द्वारा अनुमोदित किया जाना है। अतः पत्रावली कमेटी के समक्ष प्रस्तुत है।

कमेटी द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञा आदेश जारी किया जा चुका है। आवेदित भूमि का भू उपयोग श्रीमाधोपुर मास्टर प्लान 2031 के अनुसार आवासीय आरक्षित है एवं मास्टर प्लान की 30 मीटर सड़क पर स्थित है। वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर से प्राप्त तकनीकी राय दिनांक 15.12.2025 अनुसार एवम् सचिव जीडीएमएल पटवारी शिक्षण शोध संस्थान श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रत्युत्तर अनुसार महाविद्यालय हेतु कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ.(20)आकाशि/पालिसी/निसं/2020/331 दिनांक 11.02.2021 अनुसार महाविद्यालयों हेतु शहरी निकाय (स्थानीय शहरी निकाय की सीमा तक) के लिए 6000 वर्गमीटर भूमि आवश्यक है। आवेदक द्वारा आवेदित भूमि के सामने मास्टर प्लान की 30 मीटर हेतु आवश्यक भूमि के अनुसार सड़क मार्गाधिकार में आने वाली 0.0056 हैक्टेयर (56 वर्गमीटर) भूमि के निःशुल्क समर्पण हेतु 500/- रु० के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समर्पणनामा प्रस्तुत कर दिया गया है। सड़क मार्गाधिकार में आने वाले क्षेत्रफल 56 वर्गमीटर के पश्चात् नियमन योग्य क्षेत्रफल 11744 वर्गमीटर का संस्थानिक (महाविद्यालय) हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन एकल ले आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है :-

1. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2024 के प्रावधानों की पालना करनी होगी।
2. भवन विनियम, 2025 के प्रावधानानुसार नियमन योग्य क्षेत्रफल पर निम्नानुसार सैटबैक देय होंगे :-

1. अग्र सैटबैक :- 6.0 मीटर
2. पार्श्व सैटबैक प्रथम :- 9.0 मीटर
3. पार्श्व सैटबैक द्वितीय :- 9.0 मीटर
4. पिछे का सैटबैक :- 9.0 मीटर

अन्य समस्त पैरामीटर मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2025 अनुसार होंगे।

3. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधान 3.6 (iv) अनुसार पट्टा जारी किये जाने पर पट्टे में वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर द्वारा जारी तकनीकी राय की शर्त संख्या 5 का उल्लेख किया जावे।

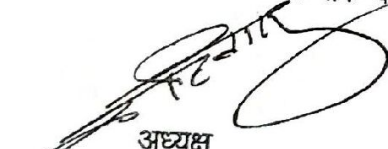
4. क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण पट्टा जारी किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से पट्टा जारी किये जाने की स्वीकृति ली जावे।

प्रस्ताव संख्या 06 :- पत्रावली श्री गुलझारीलाल पुत्र श्री गोपीराम, ढाणी बाडवाली, लांपुवा, सीकर एवं श्री सीताराम बिजारणीयां पुत्र श्री रामपाल बिजारणीयां, काजीवाली कोठी, श्रीमाधोपुर बाबत अनुज्ञा और आवंटन में ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में विचार।

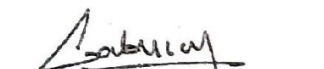
अधिकाधिक अधिकारी ने कमेटी को बताया कि श्री गुलझारीलाल पुत्र श्री गोपीराम, ढाणी बाडवाली, लांपुवा, सीकर एवं श्री सीताराम बिजारणीयां पुत्र श्री रामपाल बिजारणीयां, काजीवाली कोठी, श्रीमाधोपुर द्वारा भूमि खसरा नंबर 690 रकबा 0.9500 हैक्टेयर व खसरा नंबर 3153/693 रकबा 0.8209 हैक्टेयर की अनुज्ञा और आवंटन हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गयी है। आवेदक द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ स्कीम हेतु अनुज्ञा चाही गयी थी, जिसके क्रम में प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया से अनुज्ञा आदेश क्रमांक LSGCLU90A/2025-26/107880 दिनांक 16.01.2026 जारी किया जा चुका है। आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत ले आउट प्लान कमेटी द्वारा अनुमोदित किया जाना है। अतः पत्रावली कमेटी के समक्ष प्रस्तुत है।

कमेटी द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञा आदेश जारी किया जा चुका है। आवेदित भूमि को कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार 12 मीटर का पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, जिसका मार्गाधिकार श्रीमाधोपुर मास्टर प्लान 2031 अनुसार 24 मीटर निर्धारित है। आवेदित भूमि का श्रीमाधोपुर मास्टर प्लान 2031 में भू उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ है। नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 के अनुसार आवासीय भू उपयोग में आवासीय योजना अनुज्ञेय है। अतः निम्न शर्तों के अधीन आवासीय ले आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है :-

1. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2024 के प्रावधानों की पालना करनी होगी।
2. मास्टर प्लान की प्रस्तावित 24 मीटर सड़क मार्गाधिकार में आने वाली आवेदित भूमि को निःशुल्क नगरपालिका के नाम समर्पण करवाया जावे।
3. भवन विनियम, 2025 के प्रावधानानुसार सैटबैक देय होंगे।
4. आवेदकगण को नियमानुसार रेरा में पंजीकरण करवाना होगा तथा नगरपालिका द्वारा रेरा पंजीकरण होने के पश्चात् ही पट्टे जारी किये जावेंगे।
5. टाउनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक विकास पूर्ण होने तक बिक्री योग्य क्षेत्र के 10 प्रतिशत तक के भूखण्ड नगरपालिका में रहन रखने होंगे।


अध्यक्ष
नगरपालिका श्रीमाधोपुर


कनिष्ठ अभियंता
नगरपालिका श्रीमाधोपुर


21-1-26
सहायक नगर नियोजक
नगरपालिका श्रीमाधोपुर


अधिकाधिक अधिकारी
नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय नगरपालिका श्रीमाधोपुर जिला सीकर

क्रमांक:नपाश्रीमा/2025-26/2962

दिनांक : 16/03/2026

श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रुडमल, वार्ड नं. 04 जालपाली श्रीमाधोपुर,
श्री कालूराम जाट पुत्र श्री गोपालराम, वार्ड नं. 04 जालपाली श्रीमाधोपुर,
श्री गोकुलचंद कुडी पुत्र श्री बंशीधर कुडी, केरपुरा तहसील खण्डेला,
श्री सत्यनारायण पुत्र श्री रुडमल भारणी तह0 श्रीमाधोपुर,
श्री प्रहलाद कुमार वर्मा पुत्र श्री शिवपाल वर्मा, सौंथलिया बावडी, तहसील खण्डेला जिला सीकर

विषय :- राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर के खसरा नंबर 2922/2799 रकबा 0.6945 हैक्टेयर तथा
खसरा नंबर 2926/2801 रकबा 1.1580 हैक्टेयर भूमि के आवासीय योजना के
अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
में स्थित भूमि खसरा नंबर 2922/2799 रकबा 0.6945 हैक्टेयर व खसरा नंबर 2926/2801 रकबा 1.1580
हैक्टेयर भूमि को आवासीय योजना में अनुमोदन हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने पर आपको टाउनशिप पॉलिसी
2024 की पालना सुनिश्चित करते हुये निम्नांकित शर्तों के अधीन आवासीय योजना विकसित किये जाने की
स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

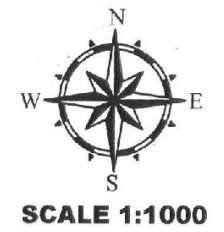
1. रेरा (RERA) पंजीकरण करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्र अनुसार ही विज्ञ तकनीकीविद की देखरेख में विकसित की जावे।
3. समस्त विकास टाउनशिप पॉलिसी-2024 के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही किये जाने होंगे नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. टाउनशिप पॉलिसी-2024 के अनुसार 2.00 हैक्टेयर तक की योजना के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों हेतु निर्धारित है।
5. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजना स्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
6. भूखण्डों का सीमांकन किया जाकर भूखण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
7. योजना में वृक्षारोपण प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार किया जाना होगा।
8. आन्तरिक विकास कार्यों हेतु 10 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10) भूखण्डों का पालिका के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
9. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 6 वर्ष तक रखरखाव किया जाना होगा।
10. द्यूबबैल/पाईपलाईन को नियमानुसार पीएचईडी को हस्तांतरित किया जाना होगा।
11. योजना में विधुतीकरण कार्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी नियमों के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर अजमेर विधुत वितरण निगम लि0 को हस्तांतरित किया जाना होगा।
12. योजना क्षेत्र में सिवरेज/ओवर हैड टैंक/सड़क/स्टोर्म ड्रेनेज की व्यवस्था मापदण्ड अनुसार करनी होगी।

संलग्न : अनुमोदित योजना मानचित्र।

अधिसूचना अधिकारी
अधिकाधिक अधिकारी
नगरपालिका श्रीमाधोपुर

**LAYOUT PLAN OF KHASRA NO. 2922/2799, 2926/2801, AT VILLAGE- SRI MADHOPUR
TEHSIL- SRI MADHOPUR, DIST.-SIKAR (RAJ.)**

ले आउर प्लान कमेटी डि. 21/01/2026 के
प्र. सं. 03 के आउर ले आउर प्लान अनुमोदित।



**AREA DETAIL
AS PER REVENUE RECORD**

S.No.	Kh. No.	Kh Area (in Hec.)
1	2922/2799	0.6945 Hec.
2	2926/2801	1.1580 Hec.
Total Area		1.8525 Hec. 18525.0 Sqm.

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	10669.58	57.60 %
2.	INFORMAL	361.59	1.95 %
TOTAL = (1+2)		11031.17	59.55%
3.	PARK	1296.75	7.00 %
4.	Public Utility S.W.M. & MOBILE TOWER	741.00	4.00 %
5.	Facility	741.00	4.00 %
6.	ROAD	4715.08	25.45 %
TOTAL = (3 TO 6)		7493.83	40.45%
SCHEME AREA		18525.00	100.00 %
		1.8525 HECT.	

TITLE:-

**SUBMISSION DRAWINGS
PROPOSED LAYOUT PLAN**

PROJECT:-

"Anand Vihar"
At Khasra No. 2922/2799, 2926/2801
Village - Sri Madhopur
Tehsil - Sri Madhopur
Dist. - Sikar (raj.)



Approved By:

Applicant :-				
Revenue Pwani	A.En	A.T.P	E.O	
Nagar Palika	Nagar Palika	Nagar Palika	Nagar Palika	
Sri Madhopur (Sikar)	Sri Madhopur (Sikar)	Sri Madhopur (Sikar)	Sri Madhopur (Sikar)	

Gabruy
21-1-26
सहायक नगर नियोजक
नगरपालिका श्रीमाधोपुर

आदेशाव अधिकारी
नगरपालिका श्रीमाधोपुर

2376

कनिय
कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका, श्रीमाधोपुर

2370

2379

श्रीमान श्री. गुरुकिशोर लाल मेसामल
श्रीमान श्री. देवमाला लाल मेसामल
सुपुषकोट रोड
2923/2799
2925/2799
2926/2801
2927/2801
2928/2801

सहायक नगर नियोजक
तहसील-श्रीमाधोपुर
जिला-सीकर (राज.)

2927/2801
2928/2801
Gabruy